

an>

Title: Regarding necessity for making amendments in Wild Life Animal Protection and Welfare Act.

**श्री वरिन्द्र कश्यप (शिमला) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पिछले कई दिनों से आवास कुत्ते सारे देश में काफी बढ़ रहे हैं। ... (व्यवधान) लगातार उनका अटैक लोगों और खास कर बच्चों पर बढ़ता जा रहा है। ... (व्यवधान) दिल्ली में, जहाँ तीन लाख आवास कुत्ते हैं, पिछले दिनों एक बच्चे को कुत्तों की पूरी फौज ने नोंच डाला। ... (व्यवधान) सारे देश में इस प्रकार की घटनाएँ लगातार हो रही हैं। ... (व्यवधान) इसी तरह शिमला की मॉल रोड पर 50 लोगों को एक पागल कुत्ते ने काट दिया है। ... (व्यवधान) पूरा यह है कि उन कुत्तों को, जो पागल हो गए हैं, लोकल म्युनिसिपैलिटीज़ या पंचायतों को कोई अधिकार नहीं है कि इस प्रकार के आवास जानवरों को मारा जा सके। ... (व्यवधान) इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन और वेलफेयर एक्ट है, उसमें वैजिस लाए जाएं। ... (व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER:

Dr. Kirit P. Solanki and

Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Virender Kashyap.

-